न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः—ऋषभ मण्डल, आई0ए0एस0(प्रशिक्षु)
राजस्व वाद संख्याः—124/2019

1. वीरेन्द्रपाल पुत्र हुकम सिंह
2. विनोद पुत्र मानसिंह
3. पवन पुत्र विजयपाल
4. रवि पुत्र अजीतसिंह

} जाति जाट निवासी ग्राम बिरावई तहसील व जिला भरतपुर(राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. ऊदलसिंह पुत्र रामजीलाल
2. मोहनसिंह पुत्र रामजीलाल

} जातिगण बाबाजी निवासी महदऊ तहसील किरावली जिला आगरा(यूपी)

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय **दिनांकः—28.01.2021**

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अंतर्गत धारा 88—89—188 आर.टी.ए. विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम बिरावई तहसील भरतपुर स्थित आराजी ख0 नं0 327/0.39, 333/0.20, 336/0.25 किता 03 रकवा 0.84 हैक्टर वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी है, जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1,2 व इनकी माता सौमोती 3/8 हिस्सा के खातेदार दर्ज थे जिन्होंने अपने उक्त समस्त हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.07.2001 के द्वारा वादीगण के हक में कर दिया और कब्जा भी सुपुर्द कर दिया। तभी से वादीगण उक्त हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादीगण की माता सौमोती का स्वर्गवास हो चुका है जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादीगण हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी के साथ साथ अन्य खसरा नम्बर 17,24,25,49 वाके ग्राम बिरावई तहसील व जिला भरतपुर के समस्त खसरा नम्बर किता 7 रकबा 1.85 है0 में अपना समस्त 3/6 हिस्सा भी दिनांक 09.07.2001 को जरिये पंजीकृत वयनामा वादीगण को विक्रय कर दिया जिसके आधार पर खसरा नम्बर 17,24,25 व 49 वाके ग्राम बिरावई तहसील व जिला

सहायक कलक्टर
भरतपुर

भरतपुर पर तो वादीगण के नाम उक्त आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में हो गया परन्तु खसरा नम्बर 327, 333 ,336 की आराजी पर अभी तक प्रतिवादीगण के नाम ही चले आ रहे हैं परन्तु उक्त आराजी पर वादीगण ही काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। इसलिए वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी पर वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम गलत इन्द्राज हो रहे हैं जो विधि विरुद्ध हैं। प्रतिवादीगण द्वारा अपने गलत इन्द्राजों के आधार पर दिनांक 14.10.2019 को आराजी को पुनः विक्रय करने की व वादीगण को काश्त नहीं करने देने की धमकी दी है। यदि प्रतिवादीगण अपनी धमकी में सफल हो गये तो वादीगण को अजीम नुकसान होगा जिसकी भरपाई जरिये नकद नहीं हो सकेगी।

इस प्रकार वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम बिरावई तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नं0 327/0.39, 333/0.20 , 336/0.25 रकबा 0.84 है0 पर प्रतिवादीगण व इनकी माता के 3/32, 3/32, 3/32 हिस्सा पर हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर उक्त हिस्सों पर वादीगण को वहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे और प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे उक्त आराजी को अन्यत्र रहनवय मुन्तकिल न करें। वादीगण ने अपने दावा की पुष्टि में जमाबंदी 2070–73 किता 2 व वयनामा दिनांक 09.07.2001 की प्रतियां पेश की हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए। उभयपक्षकारान द्वारा दिनांक 20.01.2020 को एक राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक संलग्न पत्रावली है। उभयपक्ष के मध्य राजीनामा इस प्रकार तस्दीक कराया गया है कि वाके ग्राम बिरावई तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 327/0.39, 333/0.20, 336/0.25 रकबा 0.84 है0 को प्रतिवादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादीगण को विक्रय कर दिया है परन्तु उक्त आराजी पर अभी तक प्रतिवादीगण के नाम चले आ रहे हैं जो विधि विरुद्ध हैं। प्रतिवादीगण द्वारा आराजी का वादीगण को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया जा चुका है। प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज खातेदारी गलत हो रहे हैं। प्रतिवादीगण का आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण के खातेदारी इन्द्राज निरस्त कर वादीगण को खातेदार दर्ज किये जाने में प्रतिवादीगण को काई परेशानी नहीं है। राजीनामा के आधार पर दावा वादीगण डिक्री करने हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं।

बहस सुनी गई। वादी के अभिभाषक ने प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किये जाने का अनुरोध किया है। अभिभाषक वादी द्वारा इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे 1999

न्यायालय कलक्टर भरतपुर

पेज 531 राज0 उच्च न्यायालय एवं आर.आर.डी 1993 पेज 821 मान0 उच्च न्यायालय प्रस्तुत किये हैं।

हमने अभिभाषक वादी की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 09.07.2001 के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर है कि आराजी खसरा नम्बर 327/0.39, 333/0.20, 336/0.25, 17/0.40, 24/0.23, 25/0.31, 49/0.07 में अपने हिस्से की आराजी का प्रतिवादीगण सं0 1,2 व उनकी माता सौमोती व उनके भाई पूरनसिंह ने वादीगण के हक में रजिस्टर्ड बेचान किया जाना बखूबी प्रमाणित है। उक्त आराजी में 17/0.40, 24/0.23, 25/0.31, 49/0.07 की खसरा नम्बरों की आराजी पर तो राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज वादीगण के नाम दर्ज हो चुके हैं लेकिन आराजी खसरा नम्बर 327/0.39, 333/0.20, 336/0.25 पर वादीगण के नाम अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं हुए है। अपितु उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण व उनकी माता सौमोती के नाम के इन्द्राज चले आ रहे हैं जो कि गलत हैं। प्रतिवादीगण ने वयनामा और राजीनामा में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उक्त आराजी का उनके द्वारा वादीगण को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। और उनके नाम के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम अंकित किये जाते हैं तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह आराजी प्रतिवादीगण से वादीगण को जरिये विक्रय पत्र हस्तान्तरित हुई है। इस कारण प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण के नाम उक्त आराजी का इन्द्राज होने पर कोई राजस्व हानि होना भी प्रतीत नही होता है। इसके अतिरिक्त मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित दृष्टान्त आर.बी.जे 1999 पेज 531 में वर्णित कि **"Whenever a compromise is entered between the parties – court has no option except to pass a decree in terms of it.** एवं आर.आर.डी 1993 पेज 821 में वर्णित कि **"Compromise in writing and signed – decree in terms of the compromise should have been passed by trial court.**

उपरोक्त विवेचनानुसार बरविनाय राजीनामा दावा वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर
भरतपुर

अतः आज्ञा है कि

दावा वादीगण बरविनाय राजीनामा स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम बिरावई तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नं0 327/0.39, 333/0.20, 336/0.25 रकबा 0.84 है0 पर प्रतिवादीगण व इनकी माता सौमोती के 3/32, 3/32, 3/32 हिस्सा पर हो रहे इन्द्राजात

को कलमजन कर उक्त हिस्सों पर वादीगण को वहिस्सा बराबर–बराबर का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/1/2021

(ऋषभ मण्डल)
आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर भरतपुर

सहायक कलक्टर
भरतपुर